

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228066, फ़ैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल : edlrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ6.()/आरएमएससी/ लॉजिस्टिक/2020-21/246

दिनांक : 23/6/21

कार्यालय आदेश

आवश्यक दवा सूची में औषधियों को जोड़ने/विलोपित करने/ कैटेगरी परिवर्तन करने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हेतु प्रस्ताव प्रत्येक 2 माह में माह के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त किये जायेंगे।

अतः उपरोक्त संबंध में समस्त दवा निर्माताओं कम्पनियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को जोड़ने के प्रस्तावों को निर्धारित माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर एवं नवम्बर के अंतिम शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रबंध निदेशक, आरएमएससी

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 एवं परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।
4. समस्त सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति।
5. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल।
6. समस्त कार्यकारी निदेशक, आरएमएससीएल।
7. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल— को वेबसाइट पर आदेश अपलोड कराने हेतु।
8. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक)
आरएमएससी